

प्रेषक,

पी०के०पान्नी,
अपर सचिव,
नगरास्थापक शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 02/08/2015

विषय: जनपद-चमोली (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) में नौली बाजार से थापली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.253. हे० सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2905/1-जी--FP/UK/ROAD/9405/2015 दिनांक 15 अप्रैल, 2015 के शब्दों में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद चमोली (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) में नौली बाजार से थापली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.253. हे० सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ०न० 11-09/98-एफ० सी० दिनांक 07 नवम्बर, 2014 एवं संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ०सी० दिनांक 13 फरवरी, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित भूमि के बदले 2.506. हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं गानान्तरण किया जायेगा तथा छ: माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं गानान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्र्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथावित्त वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट मिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सी०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
5. भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति मौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकस के लेखा सं०-ए०सी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जायेगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट मिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सी०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति मौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकस कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में

जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एनपीओसी अतिपूरक वृद्धारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृद्धारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध करायें जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति गान्य होगी।

7. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यक्षेत्र की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों के कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण - पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भयदोय,

(पी.के.पार्की)
अपर सचिव।

संख्या: 72 | (1)/ X-4-15/1(122)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफओआरआई, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लेख निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखकार, लेखा एवं हकदार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल जूट, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग, चमोली।
7. अधिशारी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चमोली।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एनपीओसी की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
रूप सचिव।